



RERA
APPROVED

UPRERAPRJ409634/03/2026



सहारनपुर विकास प्राधिकरण की

माँ शाकम्भरी देवी आवासीय योजना,
नवीन सहारनपुर, फेज-1

पंजीकरण
प्रारंभ तिथि
21/04/2026


पंजीकरण
समाप्ति तिथि
04/06/2026

माँ शाकम्भरी देवी आवासीय योजना नवीन सहारनपुर





माँ शाकम्भरी देवी आवासीय योजना, नवीन सहारनपुर की शहर के महत्वपूर्ण स्थलों से दूरी



▶ सहारनपुर रेलवे स्टेशन	8.80 कि.मी.
▶ टपरी रेलवे स्टेशन	8.50 कि.मी.
▶ बस स्टैंड	8.84 कि.मी.
▶ कलैक्ट्रेट	7.30 कि.मी.
▶ सर्किट हॉउस	8.00 कि.मी.
▶ सिविल हॉस्पिटल	8.70 कि.मी.
▶ सिविल कोर्ट	7.30 कि.मी.
▶ देहरादून एयरपोर्ट	100.00 कि.मी.

मुख्य मार्ग:

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे

दिल्ली देहरादून NH 709B

देहरादून अम्बाला NH 344

अम्बाला शहर से 115 मिनट की दूरी पर

चण्डीगढ़ शहर से 160 मिनट की दूरी पर



डॉ० रूपेश कुमार

(आई.ए.एस.)

आयुक्त/अध्यक्ष, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर

संदेश

बड़े ही हर्ष का विषय है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण गठन के लगभग 30 वर्षों पश्चात मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सहारनपुर शहर में प्रथम आवासीय टाउनशिप 'मां शाकम्भरी देवी आवासीय योजना, नवीन सहारनपुर' लॉन्च की जा रही है। इस टाउनशिप में अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित विकास कार्य एवं सेवाएँ दिया जाना प्रस्तावित है जिससे इस टाउनशिप में सुव्यवस्थित रूप से बेहतर जीवन शैली में रहने का सुखद् अनुभव यहाँ के निवासियों को हो सके।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधा सम्पन्न आवास मिले। जहाँ आधारभूत संरचना के साथ-साथ सामाजिक समरसता और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे है। 'मां शाकम्भरी देवी आवासीय योजना नवीन सहारनपुर' इसी सोच का एक साकार रूप है।

मुझे विश्वास है कि यह योजना सहारनपुर की पहचान को नई ऊँचाई प्रदान करेगी और नागरिकों को सुखद् एवं समृद्ध जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करेगी। मैं विशेष रूप से मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनकी प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजनान्तर्गत उक्त टाउनशिप को लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही मैं सहारनपुर विकास प्राधिकरण की पूरी टीम को इस विशेष योजना को प्रारम्भ किये जाने हेतु बधाई देता हूँ।

संदेश

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 'मां शाकम्भरी देवी आवासीय योजना नवीन सहारनपुर' सहारनपुर विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण पहल है, जो शहर के सुनियोजित विकास एवं विस्तार तथा नागरिकों को अच्छी जीवनशैली उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस कदम है।

इस योजना में विभिन्न वर्गों के लिये आवासीय भूखण्ड, व्यवसायिक क्षेत्र, हरित क्षेत्र, ड्रेनेज सिस्टम व अन्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्था को प्राथमिकता दी गयी है। यह पुस्तिका टाउनशिप से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी और नियमों का संकलन है, जिससे सभी नागरिक योजना से जुड़ी प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें।

हमें गर्व है कि यह योजना सहारनपुर को एक समृद्ध और बेहतर भविष्य की ओर ले जायेगी। जिससे सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में काफी विकास होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मैं विशेष रूप से "प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन तथा आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।" जिनकी प्रेरणा से ही 30 वर्षों पश्चात सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक वृहद् लगभग 53 हैक्टेयर की टाउनशिप किसानों/भू स्वामियों के सहयोग से विकसित की जा रही है। जिसके प्रथम चरण में 34 हैक्टेयर भूमि पर परियोजना प्रारम्भ की जा रही है।



सूरज पटेल

(आई.ए.एस.)

उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर



-: ऑनलाइन आवेदन एवं पात्रता नियम :-

- मात्र ऑनलाइन आवेदन ही पंजीकरण हेतु स्वीकार्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन के जनहित पोर्टल <https://janhit.upda.in> अथवा सहारनपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.sdasaaharanpur.org.in के माध्यम से किया जा सकेगा।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक एवं 18 वर्ष से अधिक आयु का ही पात्र होगा।
- ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक को स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शपथ-पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणियों हेतु) एवं अन्य आरक्षित श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन पत्र को पूर्ण एवं सही जानकारी के साथ भरना तथा सभी आवश्यक अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक अभिलेखों के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- एक से अधिक या संयुक्त नाम से पंजीकरण की अनुमति नहीं होगी केवल पति-पत्नी के संयुक्त नाम से आवेदन स्वीकार्य होगा।
- आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्पूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनिया में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।
- एक व्यक्ति, एक ही श्रेणी की सम्पत्ति हेतु आवेदन कर सकता है।



-: लाटरी एवं चयन प्रक्रिया :-

- लाटरी ड्रा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों एवं प्राधिकरण की वेबसाइट [www. sdaharanpur.org.in](http://www.sdaharanpur.org.in) पर पृथक रूप से प्रदर्शित की जायेगी ।
- समस्त आवेदकों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट [www. sdaharanpur.org.in](http://www.sdaharanpur.org.in) लाटरी ड्रा से 15 दिवस पूर्व एवं प्राधिकरण कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक कार्यालय को लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से 7 दिवस पूर्व तक सूचित करेंगे । तदनुसार परीक्षण के उपरान्त उसका निराकरण ससमय किया जा सकेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।
- जिन आवेदकों को लाटरी/ड्रा में भूखण्ड आवंटित नहीं होता है, को उनके द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि लाटरी/ड्रा की तिथि से अधिकतम 90 कार्य दिवस में आवेदन फार्म में अंकित बैंक खाते में बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी । आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा ।



-: आवंटन से सम्बन्धित शर्तें :-

- यदि आवेदनकर्ता लाटरी स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या पंजीकरण की शर्तों/प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है तो उसका आवेदन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर में निहित होगा।
- योजना में सम्पत्तियों (भूखण्डों) की संख्या घट-बढ़ सकती है, जिसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- सम्पत्ति (भूखण्ड) के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल आवंटन दर पर एवं शेष वृद्धि क्षेत्रफल पर 90 प्रतिशत तत्समय लागू सर्किल दर पर धनराशि का भुगतान किया जाना होगा, जो आवेदक के लिये बाध्यकारी होगा।





-: कब्जा एवं विवाद सम्बन्धित नियम :-

- भूखण्ड जहां है जैसा है के आधार पर आवंटित किया जायेगा ।
- भूखण्ड का भौतिक कब्जा आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादित कराने के माह दिसम्बर 2030 अथवा विकास कार्य पूर्ण होने उपरान्त, जो पहले हो दिया जायेगा, जो विक्रय विलेख निष्पादित होने के तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा तत्पश्चात् आवंटी को कब्जा प्राप्त होने की तिथि तक विलंब शुल्क निर्धारित दर (रूपये 100/- प्रतिदिन) से देय होगा ।
- योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दरों पर अनुरक्षण शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर देय होगा, जो भूखण्ड के कब्जा प्राप्त करने की तिथि से ही लागू होगा ।
- आवंटित भूखण्ड पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी मा० न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से भूखण्ड का कब्जा देने में विलम्ब/बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति/ब्याज देय नहीं होगा तथा ऐसी दशा में आवंटी के आवेदन पर आवंटन को निरस्त करते हुए जमा मूल धनराशि नियमानुसार बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी ।



-: प्राधिकरण नियम :-

- आवंटन स्वीकृत/अस्वीकृत करने सम्बन्धी समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण में निहित होंगे।
- किसी भी प्रकार का विवाद/संशय उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सहारनपुर होगा।
- समय-समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति के निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा आवेदक इनका अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु बाध्य होगा।
- सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी देय सरकारी कर/शुल्क (सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त) जो भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, आवेदक द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे।





-: भुगतान प्रक्रिया :-

- (i) आवेदन शुल्क रूपये 1100/- (जी.एस.टी. सहित) किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- (ii) पंजीकरण धनराशि के रूप में बेसिक सम्पत्ति मूल्य का 05 प्रतिशत धनराशि (सामान्य श्रेणी) व 2.5 प्रतिशत धनराशि (आरक्षित श्रेणी) हेतु आनलाइन ही जनहित पोर्टल/प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iii) भूखण्ड आवंटन के पश्चात् कुल धनराशि का 20 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी) एवं 22.5 प्रतिशत (आरक्षित श्रेणी) हेतु आवंटन धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त कर 30 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि को जब्त करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आवंटी को वापस कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- (iv) भूखण्डों की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 10 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ 12 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जायेगा। समय से किश्तों का भुगतान ना करने पर दण्ड ब्याज 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के दर से देय होगा।
- (v) यदि आवेदक द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष आवंटन धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 कार्य दिवस में एक मुश्त सम्पूर्ण भुगतान किया जाता है, तो अवशेष 75% धनराशि पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी जो अन्य शुल्कों यथा फ्री-होल्ड चार्ज इत्यादि में समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि वापिस की जायेगी।
- (vi) कॉर्नर सम्पत्ति पर 5%, पार्क फेसिंग में 5% तथा 18 मी० तथा उससे अधिक चौड़े मार्ग पर 5% अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी भूखण्ड के आवंटन में तीनो गुण होंगे तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 12% अधिक देय होगा। भूखण्ड मूल्य पर (कॉर्नर शुल्क 5 प्रतिशत सहित) 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क देय होगा तथा अन्य आवश्यक शुल्क निबन्धन से पूर्व जमा करना होगा। 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क की मांग अन्तिम किश्त के साथ ही आरोपित होगी, जिसे 15 दिवस में आवंटी को जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त पर 14 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से दण्ड ब्याज देय होगा तथा आवंटी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- (vii) प्रतिकर के सम्बन्ध में अभिनिर्णय घोषित होने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियतम प्राविधानो के अनुसार यदि किसी मा० न्यायालय द्वारा प्रतिकर की धनराशि बढ़ाई जाती है तो, भूखण्ड मूल्य के बढोत्तरी की दशा में अतिरिक्त मूल्य का भुगतान, आवंटी द्वारा प्राधिकरण को किया जाना अनिवार्य होगा।



- रुपये 50 लाख या उससे अधिक मूल्य के भूखण्डों के संबंध में आवेदक द्वारा (कॉर्नर शुल्क, 12% फ्री होल्ड शुल्क सहित) कुल सम्पत्ति मूल्य 1% टी.डी.एस. (TDS) के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
- उक्त टी.डी.एस. (TDS) धनराशि प्राधिकरण के पैन नम्बर – AAALS0359L पर जमा करना होगी। जो कुल भूखण्ड मूल्य का अभिन्न भाग मानी जायेगी।
- उपर्युक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही सम्बन्धित भूखण्ड का विक्रय विलेख (SALE DEED) निष्पादित किया जायेगा।



-: निरस्तीकरण / समर्पण :-

निरस्तीकरण/समर्पण :-

- (i) यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा लाटरी ड्रा की तिथि से 07 दिवस पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस करने की मांग की जाती है, तो लाटरी ड्रा के पश्चात् 30 कार्य दिवस में उक्त धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी तथा उसे लाटरी ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (ii) आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने की तिथि तक यदि आवंटी भूखण्ड का समर्पण करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी तथा यदि आवंटन धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् भूखण्ड का समर्पण करता है, तो जमा पंजीकरण धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- (iii) आवंटी द्वारा लगातार 03 किश्तें जमा न करने पर डिफाल्टर माना जायेगा तथा आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त जमा धनराशि में से 30 प्रतिशत की कटौती करते हुए बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- (iv) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि विक्रय विलेख के पश्चात् भी उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

-: आरक्षण एवं सम्बन्धित शर्तें :-

उ०प्र० सरकार के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण अनुमन्य होगा जो वर्तमान में निम्नवत् है:-

क्र.सं.	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5.	सरकारी सेवको तथा सुरक्षा सेवाओ के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो।	05
6.	उ०प्र० आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी, आवास बन्धु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी।	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से ऊपर)	10 हॉरिजॉन्टल (क्षैतिज आरक्षण)
9.	समाज के दिव्यांग जन	5 हॉरिजॉन्टल (क्षैतिज आरक्षण)

- ▶ आरक्षण वर्ग (क्रमांक-01 से 03) मात्र उ०प्र० के निवासियों हेतु ही मान्य होगा ।
- ▶ उपरोक्त क्रमांक 01 से 03 वर्ग के आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी वर्ग में सम्मिलित किया जायेगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा ।
- ▶ क्रमांक 04 में मा० विधायक/मा० सदस्य विधान परिषद्/मा० सांसद/मा० सदस्य राज्य सभा द्वारा अपने आवेदन के साथ मा० सदन के सदस्यता प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा । इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी आवेदक को सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा ।



- ▶ क्रमांक 05 वर्ग के आवेदकों को आयु प्रमाण पत्र एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सेवा का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
- ▶ क्रमांक 06 वर्ग के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सेवा में कार्यरत सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
- ▶ क्रमांक 07 वर्ग के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
- ▶ क्रमांक 08 वर्ग के आवेदकों को सरकार द्वारा निर्धारित आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
- ▶ क्रमांक 09 वर्ग के आवेदकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा ।





-: अन्य शर्तें एवं आवश्यक प्रावधान :-

- प्रस्तावित सम्पत्तियों की दर अनुमानित है, जो विकास कार्य होने के पश्चात घट बढ़ सकती है तथा उक्त दर आवंटी को मान्य होगी अन्यथा की स्थिति में उनका आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा धनराशि से 20 प्रतिशत कटौती कर अवशेष धनराशि बिना किसी ब्याज के आवंटी को वापस कर दी जायेगी।
- प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का निबंधन फ्री होल्ड भूमि के रूप में किया जायेगा। भूमि मूल्य (पार्क+कॉर्नर+18 मी० चौड़ी सड़क या अधिक को, यदि हो, सम्मिलित करके) का 12% की दर से फ्री होल्ड शुल्क निबंधन के पूर्व देय होगा, जो भूखण्ड के मूल्य में सम्मिलित नहीं है। प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का विक्रय विलेख मूल आवंटी के नाम से ही किया जायेगा। यदि मूल आवंटी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके वारिसों के नाम से नामांतरण उपरान्त ही नियमानुसार विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा।
- भूखण्ड का कब्जा :- आवंटित तिथि के पश्चात, भूखण्ड का मूल्य व अन्य मूल्यों का भुगतान करने के पश्चात, निबंधन कर, आवेदक को भूखण्ड का कब्जा रेरा द्वारा निर्धारित अवधि के अनुरूप दिया जायेगा।
- निबंधन/अनुबंध इत्यादि में आने वाला समस्त व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।
- आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार, नगर निगम अथवा प्राधिकरण बोर्ड या अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवेदक द्वारा देय होंगे।
- योजना के भूखण्डों के निबंधन के उपरान्त योजना को नगर निगम को हस्तांतरित होने तक अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क + जीएसटी का भुगतान आवंटी को करना होगा।
- योजना आवासीय है। सम्पत्ति का प्रयोग उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अधीन ही अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा।



माँ शाकम्भरी देवी आवासीय योजना, नवीन सहारनपुर फेस-1

धनराशि विवरण

क्र. सं.	भूखण्ड श्रेणी	भूखण्डों की संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	दर प्रति वर्ग मी०	भूखण्ड का अनुमानित मूल्य	पंजीकरण शुल्क	
						आरक्षित श्रेणी (2.5 प्रतिशत भूखण्ड के अनुमानित मूल्य का)	अनारक्षित श्रेणी (5 प्रतिशत भूखण्ड के अनुमानित मूल्य का)
1.	LIG	91	90.00	32000.00	2880000.00	72000.00	144000.00
2.	MMIG	20	112.50	32000.00	3600000.00	90000.00	180000.00
3.	MIG	110	135.00	32000.00	4320000.00	108000.00	216000.00
4.	MIG SUPER	236	162.00	32000.00	5184000.00	129600.00	259200.00
5.	HIG SUPER	17	200.00	32000.00	6400000.00	160000.00	320000.00
6.	HIG PREMIUM	39	288.00	32000.00	9216000.00	230400.00	460800.00

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD

निश्चित भुगतान, सुरक्षित भविष्य

- ▶ भुगतान सम्बन्धी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए इंडियन बैंक, सहारनपुर कोर्ट रोड शाखा आपका विश्वस्त सहयोगी है।

अपनी संपत्ति, अपना गर्व

- ▶ इंडियन बैंक के साथ पाएं सबसे सुलभ प्लॉट लोन (रिटेल और कमर्शियल)
- ▶ न्यूनतम कागजी कार्यवाही और बेहतरीन ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए कोर्ट रोड, सहारनपुर शाखा में आपका स्वागत है।



पंजीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन फार्म का प्रारूप (आवेदन फार्म ऑनलाईन भरे जायेंगे)

1. योजना का नाम
 2. उपयोजना का नाम
 3. भुगतान पद्धति
 4. भूखण्ड की श्रेणी 1 2 3 4 5 6
 5. आवेदक का नाम
 6. पिता/पति का नाम
 7. संयुक्त आवेदक का नाम
 8. पिता/पति का नाम
 9. पत्र व्यवहार का पता
 10. स्थायी पता
 11. पिनकोड वैवाहिक स्थिति विवाहित अविवाहित
 12. आयु जन्मतिथि लिंग पुं महिला अन्य
 13. श्रेणी एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी. अन्य
 14. आधार संख्या पैन नं०
 15. व्यवसाय वार्षिक आय
 16. पंजीकरण धनराशि (अंको में) रूपये
 17. पंजीकरण धनराशि (शब्दों में) रूपये
 18. आवेदक का बैंक खाता विवरण
खाताधारक का नाम
बैंक का नाम व शाखा
खाता संख्या आई.एफ.एस.कोड.....
 19. आवेदक द्वारा नामित उत्तराधिकारी का नाम एवं सम्बन्ध
नाम
पिता का नाम उम्र.....
नामित उत्तराधिकारी से सम्बन्ध
 20. आवेदक का मोबाइल नं.
ई-मेल
- मैं / हम एतद द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पंजीकरण संबंधी सभी नियम और शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ व समझ लिया है जो मुझे / हमें मान्य हैं ।
- उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरी/हमारी जानकारी में सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । यदि कोई तथ्य अथवा सूचना असत्य या अपूर्ण पाई जाती है तो प्राधिकरण को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा ।
- यदि मुझे/हमें भूखंड आवंटित नहीं होता है, तो पंजीकरण धनराशि की वापसी अंकित बैंक विवरण में हस्तांतरित कर दी जाए ।
- स्थान
- दिनांक
- आवेदक/आवेदको के हस्ताक्षर



SAMPLE FORMAT OF APPLICATION FORM FOR REGISTRATION

(Application Form will be filled online)

1. Name of Scheme
 2. Name of Sub-Scheme
 3. Payment Mode In Installments
 4. Category of the Plot 1 2 3 4 5 6
 5. Name of Application
 6. Name of Father/Husband
 7. Name of Joint Applicant
 8. Name of Father/Husband
 9. Postal Address
 10. Permanent Address
 11. Pincode Marital Status : Married Unmarried
 12. Age Date of Birth Gender : M F Other
 13. Category
 14. Aadhar No. PAN No
 15. Occupation Annual Income
 16. Registration Amount (in digits) Rupees
 17. Registration Amount (in words) Rupees
 18. Details of Applicant's Bank Account
Name of Account Holder
Name of Bank & Branch
Account No. I.F.S.Code
 19. Name and relation of the designated successor by the applicant :
Name Father Name
Age Relation from the Designated Successor
 20. Mobile No. of Application 1 2
 21. E-mail.....
- I/We hereby declare that I/We have fully read and understood all the registration terms and conditions which are to me/us.
 - All the above information is true in My/Our information and no facts have been hidden. If any fact or information found to be false or incomplete, the authority will have the right to cancel the registration/ allotment.
 - If the plot is not allotted to me / us, the refund amount will be transferred to the bank details mentioned in application form.
- Place
- Date Signature of Applicant/Applicants



शपथ पत्र

शपथ पत्र (रूपये 10/- के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम श्री.....

आयुव्यवसाय.....

पूरा पता.....

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।
2. मेरे/हमारे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्लूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनियों में कोई/एक से अधिक (जो लागू हो) भूखण्ड/भवन नहीं है।
3. मैं/हम आवंटन की सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।
4. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में अभिनिर्णय घोषित होने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर की धनराशि बढ़ाई जाती है अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भवन/भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी।
5. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा / करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।
6. यदि सहारनपुर विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित भूखण्ड कब्जा मैं न लूँ अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगी गयी धनराशि जमा नहीं करूँ अथवा भूखण्ड की रजिस्ट्री न कराऊँ तथा सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो सहारनपुर विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा धनराशि को नियमानुसार जब्त करने तथा भूखण्ड का आवंटन रद्द करने तथा भूखण्ड पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।
7. ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ-पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा किया गया उपरोक्त बयान में कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धनराशि को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषणा :- मैं एतद्वारा बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 07 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)



माँ शाकम्भरी देवी आवासीय योजना नवीन सहारनपुर, फेस-1 में प्रस्तावित सुविधाएँ



वृहद् आकार के
व्यवसायिक भूखंड




विभिन्न श्रेणियों के आवासीय भूखंड



पुलिस चौकी



फुटपाथ व रोड



सीसीटीवी




पावर सब-स्टेशन



पार्क एवं हरियाली



भूमिगत यूटिलिटी डक्ट



स्पोर्ट्स प्ले ग्राउण्ड




माँ शाकम्भरी देवी आवासीय योजना, नवीन सहारनपुर प्रस्तावित साईट का प्रतीकात्मक दृश्य





आवेदन प्रक्रिया

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन के जनहित पोर्टल <https://janhit.upda.in> अथवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.sdasaharanpur.org.in के माध्यम से किया जा सकता है। जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है।



विशेष जानकारी या किसी भी सहायता हेतु कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के बीच सहारनपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय स्थित जन सहायता काउंटर पर या मो. 7037028883 पर संपर्क करें।



“माँ शाकम्भरी देवी आवासीय योजना नवीन सहारनपुर का प्रस्तावित स्थल”





माँ शाकम्भरी देवी आवासीय योजना नवीन सहारनपुर फेज-1, सहारनपुर

हमारा प्रयास, सबको आवास



सहारनपुर विकास प्राधिकरण

हकीकत नगर, निकट आई.एम.ए. भवन, सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)

www.sdasaharanpur.org.in

sda12@rediffmail.com

आवेदन शुल्क

रु.1100/- (जीएसटी सहित)

Legends				
S.R	Categories	Plot Size	Plot Area SQ.MT	Key Color
01	LIG	06.00M X 15.00M	90.00 Sq.MT	
02	MMIG	7.50M X 15.00M	112.50 Sq.MT	
03	MIG	7.50M X 18.00M	135.00 Sq.MT	
04	MIG Super	09.00M X 18.00M	162.00 Sq.MT	
05	HIG	09.00M X 20.00M	180.00 Sq.MT	
06	HIG Super	10.00M X 20.00M	200.00 Sq.MT	
07	HIG Premium	12.00M X 24.00M	288.00 Sq.MT	
08	Area Left for Future Use			



**माँ शाकम्भरी देवी आवासीय योजना,
नवीन सहारनपुर, फेस-1 का ले आउट**

To Delhi Road
Mini Bypass Road
Mini Bypass Road
To Nagal Road